

1
FORM NO.III
फर्द अहकाम (नियम 26)
अज अदालत अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-1, मुकाम झुन्झुनू
सेशन प्रकरण संख्या- 36/2022 (CIS 155/2021)
सरकार बनाम रामनिवास वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.07.2026	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त दलीप बर जमानत मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण रामनिवास, कृष्णपाल, राजेश, अतुल मीणा, पंकज उर्फ पिन्दू अनुपस्थित। जिनका हाजरी माफी प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता पेश हुआ, जो आज के लिए स्वीकार किया गया, शामिल रहें। साक्ष्य अभियोजन में गवाह पीडब्ल्यू 27 बुद्धिप्रकाश उपस्थित। अपर लोक अभियोजक द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बुद्धिप्रकाश उपनिरीक्षक मय जाब्ता थाने से रवानगी व वापसी की रपट की प्रमाणित प्रतियां अभियोजन पत्रावली के साथ सहवन से संलग्न होने एवं उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियों को रिकोर्ड पर लेने एवं उपस्थि साक्ष्य बुद्धिप्रकाश से प्रदर्शित करवाने की अनुमति देने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसको स्वीकार करने में अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से अनापत्ति जाहिर की गई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त नकल रपट रोजनामचा रवानगी व वापसी की प्रमाणित प्रतियों को रिकोर्ड पर लिया जाकर प्रदर्शित करवाने की अनुमति दी	

	जाती है। गवाह पीडब्ल्यू 27 बुद्धिप्रकाश के बयान लेखबद्ध किए गए। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने कथन किया कि पत्रावली में गवाह पूर्ण हो चुके हैं अन्य किसी गवाह की साक्ष्य शेष नहीं है, जिनके निवेदन पर साक्ष्य अभियोजन बंद की जाती है तथा पत्रावली बयान मुलजिम हेतु नियत की जाती है तथा प्रकरण लक्षित प्रकरणों की सूची में शुमार है, जिसका शीघ्र निस्तारण अपेक्षित है। अतः मुलजिमान को असालतन उपस्थित रखा जावे। पत्रावली वास्ते बयान मुलजिम दिनांक 20.07.2026 को पेश हो। अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या 1 झुन्झुनू।	
--	--	--